प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.07.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वाँछित 50,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.07.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग मे वाँछित चल रहे 50,000/- रु के इनामी अभियुक्त शेर बहादुर पुत्र लोक बहादुर निवासी म0नं0 31 माडल टाउन ईठमरना थाना कावडी फाटक पानीपत हरियाणा मूल निवासी ग्राम वानेदोगरी सेन डोटी थाना वानेदोगरी तिलताली डोटी जिला वनलेक, नेपाल उम्र 31वर्ष को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पुलिस लाइन पलवल हरियाणा के पास वाली रोड से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त अपने अन्य गैंग के साथियों के साथ मिलकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब व मादक पदार्थो की तस्करी करके व जघन्य अपराध करके अवैध धन अर्जित करता था। अभियुक्त व उसके अन्य साथियों के पास से वर्ष 2020 में 1052 पेटी अवैध शराब बरामद हुई थी। जो पंजाब से लाकर उत्तर प्रदेश में बेचने को लाई जा रही थी। अभियुक्त उपरोक्त किसी काम के लिये पलवल आया था। जहां से अभियुक्त को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

शेर बहादुर पुत्र लोक बहादुर निवासी म0न0 31 माडल टाउन ईठमरना थाना कावडी फाटक पानीपत हरियाणा मूल निवासी ग्राम वानेदोगरी सेन डोटी थाना वानेदोगरी तिलताली डोटी जिला वनलेक , नेपाल उम्र 31वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः

- अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग व मादक पदार्थो की तस्करी सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 03.07.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर कन्ट्रोल रुम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डूंडाहेडा में एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की को गोली मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया है, इस सूचना पर

तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर गम्भीर रुप से घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा वादी की सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त रविराज पुत्र सतपाल सिंह निवासी राम सिंह जाटव का मकान जाटव मौहल्ला ग्राम डुंडाहेडा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव मलंगपुरा थाना धनौरा मण्डी अमरोहा उम्र 24 वर्ष को चित्रावन सोसायटी के पास से गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त एक तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ तथा मेरे 02 बच्चे हैं परन्तु मेरी दोस्ती उक्त लड़की से हो गयी थी। हम एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। अब वह मुझसे से शादी करना चाह रही थी लेकिन मैं पहले से शादीशुदा होने के कारण अब उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने उसको गोली मार दी ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

रविराज पुत्र सतपाल सिंह निवासी राम सिंह जाटव का मकान जाटव मौहल्ला ग्राम डुंडाहेडा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव मलंगपुरा थाना धनौरा मण्डी अमरोहा, उम्र 24 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

उपरोक्त घटना में प्रयुक्त एक तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.06.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि नितिन पुत्र हरीशंकर निवासी खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष द्वारा मेरी पुत्री उम्र 14 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक 01-07-2024 को पीड़िता को बरामद कर उक्त मुकदमें में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं धारा 161 सीआरपीसी आदि कार्यवाही की गयी व धारा-164 सीआरपीसी के बयानों की कार्यवाही की जा चुकी है। विवेचना से धारा-366/376(3) भादवि व 4(2) पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

आज दिनांक 04.07.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त नितिन पुत्र हरीशंकर निवासी खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को जीडीए फ्लैट टीला शहबाजपुर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि उक्त लड़की मेरे पड़ोस में रहती थी हमारी एक दूसरे से जान पहचान हो गई थी तथा हम एक दूसरे से बात करने लगे थे। मैं एक दिन इसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मैंने इसको बहला फुसलाकर शादी के बहाने शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

नितिन पुत्र हरीशंकर निवासी खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा 25,000/- हजार इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से 11000/- रूपये बरामद।

आज दिनांक 04.07.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर NDPS Act के वांछित/इनामिया अभियुक्त मेघू व उसके साथी काका को कार्बन फेक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम अपने साथियों के साथ मिलकर ऑटो रिक्शा आदि में बैठी महिला के बैग से उनका कीमती सामान चोरी कर लेते है तथा जो भी पैसा बरामद होता है उसे आपस में बांट लेते है। कुछ दिन पहले भी हमने एक महिला के बैग से कुछ सामान तथा रूपये चोरी किये थे। आज भी हम किसी घटना को करने की फिराक में घूम रहे थे।

नाम पता अभियुक्त

1. मेघू पुत्र रामगोपाल (**इनामियां**) निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र 35 वर्ष।
2. काका पुत्र अनिल निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र 18 वर्ष।

बरामदगी विवरणः-

1. 11000/- रूपये नगद
2. 02 पेंचकस

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

इनामियां अभियुक्त मेघू उपरोक्त पर – 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट , 01 अभियोग चोरी , कुल 02 अभियोग कमिश्नरेट ग़ाज़ियाबाद पर पंजीकृत है।

अभियुक्त काका उपरोक्त पर –, 01 अभियोग चोरी , कमिश्नरेट ग़ाज़ियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम ।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्त व स्नैचिंग का मोबाइल खरीदने वाला अभियुक्त कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग का मोबाइल व 3000 हजार रुपये बरामद।

दिनांक 03.07.2024 को थाना निवाड़ी पर वादी ने तहरीर दी कि 02 अज्ञात मोटर साइकिल सवार लड़के मेरे पुत्र का मोबाइल फोन छीनकर ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 04-07-2024 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के माध्यम से संदिग्धों की पहचान कर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर मोबाइल स्नैचर 1. दानिश उर्फ लम्बू पुत्र नसरुद्दीन नि0 मलिकनगर कस्बा, थाना मुरादनगर गाजियाबाद, 2. शहजाद पुत्र मकसूद निवासी जीतपुर गली नं0 02 कस्बा, थाना मुरादनगर गाजियाबाद व स्नैचिंग का मोबाइल का खरीदने वाला अभियुक्त नवाजिश पुत्र आशू निवासी ईदगाह बस्ती कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से स्नैचिंग का मोबाइल फोन व 3000 हजार रुपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त दानिश उर्फ लम्बू व शहजाद ने बताया कि हमें इस मोबाइल के कवर से 1000 रूपए मिले थे तथा हमने यह मोबाइल दो दिन पहले ही अबुपुर गेट पर एक लड़के से छीना था तथा उस मोबाइल को 2000 हजार रुपये में नवाजिस को बेच दिया था तथा अभियुक्त नवाजिस ने बताया कि मैंने लालच में आकर यह मोबाइल 2000 हजार रुपये में खरीद लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. दानिश उर्फ लम्बू पुत्र नसरुद्दीन नि0 मलिकनगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष,
2. शहजाद पुत्र मकसूद निवासी जीतपुर गली नं0 02 कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष,
3. नवाजिश पुत्र आशू निवासी ईदगाह बस्ती कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष,

बरामदगी का विवरण

स्नैचिंग किया गया मोबाइल फोन व 3000 हजार रुपये बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त दानिश उर्फ लम्बू के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लूट व माल बरामदगी के संबंध में 03 अभियोग तथा थाना निवाड़ी पर मोबाइल स्नैचिंग का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना निवाड़ी पुलिस टीम